प्रेस विज्ञप्ति
30.11.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स सर्टिसेप इनोवेशन (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड के मालिक महेश चंद्रशेखर शेट्टे को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 29.11.2025 को गिरफ्तार किया है। महेश चंद्रशेखर शेट्टे 2nd फ्लोर, प्लॉट नंबर 7, सेक्टर-22, आईटी पार्क, पंचकुला में स्थित एक फर्जी कॉल सेंटर का मालिक है। महेश चंद्रशेखर शेट्टे पर फर्जी तकनीकी-सहायता कॉल सेंटर के संचालन और हवाला चैनलों के माध्यम से अपराध के आगम (पीओसी) के सृजन और धन शोधन के अपराध में कथित रूप से शामिल होने का आरोप है।

गिरफ्तारी के बाद, मामला 29.11.2025 को माननीय विशेष न्यायालय, पंचकुला के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय विशेष न्यायालय, पंचकुला ने आगे की जांच के लिए महेश चंद्रशेखर शेट्टे को 7 दिनों (06.12.2025 तक) के लिए ईडी हिरासत में भेज दिया है।

ईडी ने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन, पंचकूला (एफआईआर नंबर 100/2025 और एफआईआर नंबर 101/2025) और चंडीमंदिर पुलिस स्टेशन (एफआईआर नंबर 344/2025) द्वारा दर्ज की गई तीन एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी व्यक्ति आईटी पार्क, पंचकूला में अवैध कॉल सेंटर चला रहे थे, जो नेटफ्लिक्स, अमेज़ॅन, स्पेक्ट्रम, एटी एंड टी और अन्य जैसी विभिन्न अमेरिकी कंपनियों के प्रतिनिधियों के रूप में काम कर रहे थे। वीओआईपी डायलर और रिमोट-एक्सेस टूल्स का उपयोग करके, आरोपियों ने अमेरिकी नागरिकों को झूठी तकनीकी समस्याओं का विश्वास दिलाया और उन्हें 100 अमेरिकी डॉलर से लेकर 5,000 अमेरिकी डॉलर प्रति पीड़ित तक की राशि से धोखा दिया। ज़ेले, रेमिटली, बिटकॉइन और कैशऐप गिफ्ट कार्ड के माध्यम से धोखाधड़ी से भुगतान निकाला गया और हवाला नेटवर्क के माध्यम से भारत में स्थानांतरित किया गया।

ईडी की जांच में पता चला कि महेश चंद्रशेखर शेट्टे, जो एफआईआर नंबर 100/2025 में मुख्य आरोपी है, अपने सहयोगियों- सुश्री सुरभि दुहन, ऋषभ दुहन और राहुल चूकर- के साथ मेसर्स सर्टिसेप इनोवेशन (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बिना किसी अनिवार्य डीओटी लाइसेंस, क्लाइंट समझौते या नियामक अनुपालन के फर्जी कॉल सेंटर को सक्रिय रूप से संचालित कर रहा था। कॉल सेंटर के कर्मचारियों ने महेश चंद्रशेखर शेट्टे को प्रमुख संचालकों में से एक के रूप में पहचाना है।

ईडी की जांच में यह भी पता चला कि विदेश में उत्पन्न पी.ओ.सी. को हवाला चैनलों के माध्यम से नकद में भारत में भेजा गया और उसके व्यक्तिगत खातों में जमा किया गया, मैक एंड क्रिस एंटरप्राइजेज (महेश की प्रोप फर्म) के बैंक खातों में, जिसे बाद में उसकी मां श्रीमती शालिनी शेट्टे के बैंक खाते के माध्यम से लेयर किया गया और अंत में निवेश, संपत्ति खरीद, कार खरीद और अन्य व्यक्तिगत उपयोगों के लिए उपयोग किया गया।

ईडी ने धन के अवैध स्रोत को छिपाने के लिए उपयोग की जाने वाली थर्ड पार्टी फर्मों से जुड़े कई लेयरिंग लेनदेन की भी पहचान की है। जांच में अब तक यह स्थापित हो चुका है कि करोड़ों रुपये के पीओसी फर्जी कॉल सेंटर संचालन के माध्यम से उत्पन्न किए गए थे और आरोपियों से जुड़े संस्थाओं और व्यक्तियों के बैंकिंग चैनलों के माध्यम से शोधित की गई थी।

आगे की जांच जारी है।